न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म0प्र0)
(समक्षः ए0के0 टेलर)

अपराधिक अपील क्रमांकः 01/2018
संस्थापन दिनांकः 03.01.2018
फाइलिंग नंबर 01/2018
सी.एन.आर.नं.–एमपी3105–000004–2018

नरेश पिता मुल्ला गुर्जर, उम्र–42 वर्ष
निवासी– ग्राम घूघस, थाना वीरपुर
जिला श्योपुर (म0प्र0) –– अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

1– म.प्र.राज्य द्वारा
जिला दण्डाधिकारी
जिला श्योपुर (म0प्र0)
2– म.प्र.शासन द्वारा, आरक्षी केन्द्र, वीरपुर
जिला–श्योपुर (म0प्र0) –– प्रत्यर्थीगण/शासन

अपीलार्थी व्दारा :: श्री एम.डी.शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/शासन व्दारा :: श्री एम.डी.सोनी, लोक अभियोजक

:: नि र्ण य ::
(दिनांक 11 जनवरी, 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा, (जिसे एतस्मिन् पश्चात् ''अभियुक्त'' सम्बोधित किया जावेगा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयपुर जिला श्योपुर (श्री अविनाश शर्मा) द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रमांक 100335/2015 (आरक्षी केन्द्र, वीरपुर विरूद्ध नरेश) में घोषित दिनांक 05.12.2017 को उस आलोच्य निर्णय एवं दण्डाज्ञा से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाकर एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में एक माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3. अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यांतर्गत यह हैं कि अभियोगी/आहत रामस्वरूप (अ.सा.–1) द्वारा हमराह पत्नि श्रीमती ल्होईबाई (अ.सा.–2) एवं भाई बीरबल सिंह (अपरीक्षित) के आरक्षी केन्द्र, वीरपुर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट व्यक्त की कि उसका एवं अभियुक्त का खेत पास–पास स्थित है। अभियुक्त द्वारा, अभियोगी से यह कहा कि उसकी जमीन अभियोगी के खेत की तरफ निकल रही है। गांव वालों द्वारा परसों मेंढ़ का निराकरण कर पत्थर गाड़ दिया था। इसके बावजूद घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा और भूमि की मांग करते हुए कहा कि जमीन देना पड़ेगी, तब अभियोगी द्वारा ''पंचों द्वारा खेत पर पत्थर गाड़ दिये गये हैं, अब उसकी तरफ तेरी जमीन नहीं है'' कहने पर अभियुक्त द्वारा मां–बहन की अश्लील गालियां देकर जमीन देने से मना करने पर अभियोगी को लाठी से अभियुक्त द्वारा लाठी से पीठ, बखौरा, कमर में दांयी तरफ, रीड की हड्डी, बांये पैर, जांघ, बांये कूल्हे व दांये हाथ में चोट पहुंचाई, जिससे रक्तस्त्राव होकर खून निकलने लगा। स्थानीय व्यक्तियों रामदयाल (अ.सा.–3) एवं अभियोगी की पत्नि ल्होईबाई (अ.सा.–2) द्वारा आकर बीच बचाव किया गया। अभियुक्त द्वारा रास्ता रोकर अश्लील गालियां देकर थाने पर जाने पर जान से मारने की धमकी देने सहित पैदल थाने पर उपस्थित होने विषयत् तथ्य एफ.आई.आर. प्रदर्श पी/1 में उल्लेखित है।

4. उक्त आशय की एफ.आई.आर. उपरान्त अभियोगी को चिकित्सा परीक्षणार्थ हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, वीरपुर प्रेषित करने पर प्रदर्श पी/6 की मेडिकल रिपोर्ट डॉ. जितेन्द्र रावत (अ.सा.–5) द्वारा निर्मित की गयी। अभियोगी की निशांदेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी/2 एवं अभियुक्त द्वारा आरक्षी केन्द्र, वीरपुर में पेश करने पर बांस का डण्डा प्रदर्श पी/5 के जप्ती पंचनामा अनुसार निर्मित किया गया। अभियोगी रामस्वरूप सहित साक्षीगण ल्होईबाई (अ. सा.–2) रामदयाल (अ.सा.–3) के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान विषयत् अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध कथित अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 341 एवं 506 भाग–दो भा0दं0सं0 के अपराध विषयत् अधिरोपित आरोपों को उसके द्वारा अस्वीकार करते हुए निरपराधी होना एवं झूंठा फंसाना व्यक्त किया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षार्थ किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् उभयपक्षीय अंतिम तर्क श्रवणोपरान्त प्रकरण में अभियुक्त को आलोच्य निर्णय अनुसार दंडित किया गया है।

6. अपील ज्ञापन के संक्षिप्त तथ्यान्तर्गत है कि अपराधिक प्रकरण क्रमांक–335/2015 (म.प्र.राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र, वीरपुर विरूद्ध नरेश) में घोषित निर्णय दिनांक 05.12.2017 अनुसार अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाकर आलोच्य निर्णय अनुसार दंडित किया गया है, से व्यथित होकर सदर अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपील के आधार स्वरूप उल्लेखित है कि अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मी विरूद्ध उ.प्र.शासन के मामले में निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त, अभियोजन प्रकरण की सत्यता के संबंध में संदेह पर निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त, अभियोजन प्रकरण की सत्यता के संबंध में एक ओर संदेह दर्शित करते हैं तो वह दोषमुक्ति का पात्र होता है। अभियोगी रामस्वरूप द्वारा प्रदर्श पी/1 की एफ.आई.आर. एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी/2 निर्मित कराया गया है, किन्तु उक्त दस्तावेज की त्रुटि की ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अभियोगी द्वारा जमीन विवाद में गांव के व्यक्तियों (पंचों) द्वारा पत्थर गाड़ना व्यक्त किया है। उक्त तथ्य से उभयपक्ष के मध्य जमीन की सीमा संबंधी विवाद विद्यमान है। इसी विवाद के कारण अभियोगी द्वारा असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है। अभियोगी के न्यायालयीन कथनों में तात्विक विरोधाभास है। नक्शा मौका प्रदर्श पी/2 दिनांक 17.06.2015 को अभियोगी की निशांदेही से प्रधान आरक्षक, शकूर खां (अ.सा.–4) द्वारा निर्मित किया गया है, जबकि अभियोगी द्वारा न्यायालयीन कथन दौरान दो दिवस तक अस्पताल में उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती रहना व्यक्त किया है। उसके द्वारा घटनास्थल पर जाने के पुष्टिकारक कथन व्यक्त नहीं किये हैं। अभियोगी के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी/2 की कार्यवाही संदिग्ध है। अभियोगी की पत्नि ल्होईबाई (अ.सा.–2) हितबद्ध साक्षी है। वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षी रामदयाल (अ.सा.–3) द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। आहत की चोटों का समर्थन डॉ. जितेन्द्र रावत (अ.सा.–5) द्वारा चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श पी/6 के अनुसार नहीं किया है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी/5 के साक्षीगण का परीक्षण न्यायालय में नहीं कराया गया है। अभियुक्त से लाठी की जप्ती प्रमाणित नहीं है। अभियोगी एवं अभियुक्त के विरूद्ध साम्पत्तिक विवाद से संबंधित सुलहवार्ता के कथित पंचगण का कथन अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। उक्ताधारों पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय को अपास्त कर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

8. अंतिम तर्क दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क दौरान अपील ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों के अतिरक्त पुनरावृत्ति स्वरूप उन्हें तर्क के रूप में मान्य करने का निवेदन किया गया। उनका यह भी कहना है कि प्रकरण में स्वतंत्र एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण की उपलब्धतता के बावजूद अभियोजन द्वारा उनका कथन नहीं कराया गया है।

परीक्षित साक्षीगण पति–पत्नि होकर परस्पर हितबद्ध है। परीक्षित साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है। अनुसंधान की महत्वपूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण एवं संदिग्ध है। अभियुक्तगण के विरूद्ध असत्य आधार पर कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् निर्णय पूर्णतः अवैधानिक, विधिक प्रक्रिया एवं अभिलेख के तथ्यों के विपरीत एवं अनुचित होने से निरस्तनीय है। चक्षुदर्शी साक्षीगण का परीक्षण नहीं कराया गया है। परीक्षित साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया कि उन्हें आक्षेपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निष्कर्षित करने के संबंध में प्रकरण के गुण–दोषों के संबंध में तर्क प्रस्तुत नहीं करना है। दण्ड के प्रश्न पर उनका यह कहना है कि अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे अन्यथा न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। अतः, उक्ताधारों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निष्कर्ष को यथावत रखते हुए आलोच्य दंडादेश दोषपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर अभियुक्तगण को दण्डादेश से मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

09. प्रत्यर्थी/शासन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क दौरान व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय द्वारा किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक /विधिक प्रावधान की त्रुटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पर्याप्त एवं विधि–सम्मत आधारों पर उचित निर्णय पारित किया गया है। स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करने से भी अभियोजन प्रकरण पर प्रतिकूल असर नहीं होता है। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्ति की पात्रता अर्जित नहीं होती है। अतः, उक्ताधारों पर अपील निरस्त करने की अभिव्यक्ति की गयी है।

10. अपील के निराकरणार्थ अवधार्य प्रश्न यह है कि :–<u>क्या अभियुक्त द्वाराः–</u>

1. दिनांक 16.06.2015 को दिन के करीबन 02.00–03.00 बजे वीरेन्द्र पुजारी के मकान के सामने आम रोड़ घूघस में अभियोगी/आहत के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने में त्रुटि की गई है ?
3. क्या विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय दि. 05.12.2017 तथ्य एवं विधि सम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय है ?

11. अपील के सम्बन्ध में उभय पक्ष के तर्क सुने गये। तत्संबंधी विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

<u>निष्कर्ष के आधार</u>

12. अपील के सम्बन्ध में तर्क सुने गये। तत्संबंधी विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

13. उक्त अवधार्य प्रश्न परस्पर अन्यान्योश्रित होने से एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति के निवारणार्थ उक्त प्रश्नों का निराकरण संयुक्ततः किया जा रहा है।

14. यह सुस्थिर विधिक व्यवस्था है कि अपराधिक प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन/परिवादी पक्ष पर होता है। अभियोजन पक्ष किसी भी परिस्थिति में प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार बचाव पक्ष पर अंतरित नहीं कर सकता है।

15. डॉ. जितेन्द्र रावत (5) द्वारा दिनांक 02.08.2017 को न्यायालयीन कथन दौरान दिनांक 16.06.2015 को पी.एच.सी. वीरपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थी दौरान आरक्षी केन्द्र, वीरपुर से आरक्षक ब्रजेश द्वारा आहत रामस्वरूप पिता बूटाराम, उम्र–70 वर्ष,

निवासी घूघस को चिकित्सा परीक्षणार्थ प्रस्तुत करने पर परीक्षण दौरान आहत के शरीर पर निम्नांकित चोटें पायी जाना व्यक्त किया है :–

आहत के दांये हाथ की मध्य उंगली का नाखून पृथक था। दांयी हाथ की तर्जनी उंगली में 1X.5 से.मी. का फटा हुआ घाव, पीठ के निचले हिस्से में 4X2 से.मी., बांयी जांघ के अंदर की तरफ 10X2 से.मी. की लालिमा तथा बांये कूल्हे पर 8X2X1 से.मी. की सूजन सहित लालिमा, सीने में दर्द दृश्यमान चोट नहीं होना, (वस्तुतः दर्द दृश्यमान नहीं होता है) आहत के बांये कूल्हे पर लालिमा, सूजन एवं सीने में दर्द विषयत् चोटों के संबंध में क्ष–किरण (एक्स–रे) हेतु परामर्श प्रदान करना, समस्त चोटें सख्त एवं भौंथरे हथियार से कारित होने की संभावना व्यक्त की गयी। साक्षी द्वारा एक्सरे हेतु परामर्श दी गयी चोटों के अतिरिक्त शेष चोटें साधारण प्रकृति की होकर आहत की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/6 स्वहस्ताक्षरित होना व्यक्त किया है।

16. प्रतिपरीक्षण दौरान यद्यपि साक्षी द्वारा आहत की जिन चोटों के एक्सरे हेतु परामर्श दिया गया था, उन चोटों में अस्थिभंग नहीं पाया जाना और चोट क्रमांक–1 दांये हाथ की मध्य उंगली का नाखून अलग होना एवं चोट क्रमांक–2 – दांये हाथ की मध्य उंगली पर फटा हुआ घाव एवं चोट क्रमांक–3 पीठ के निचले हिस्से की गिरने से कारित होना सम्भाव्य होना व्यक्त किया है, तथापि उसके द्वारा बचाव पक्ष के इस आक्षेप को अस्वीकार किया है कि आहत का परीक्षण किये बगैर चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट निर्मित की गयी है। साक्षी के कथन में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि आहत के चिकित्सा परीक्षण दौरान उसके शरीर पर प्रदर्श पी/6 में प्रतिवेदित चोटें विद्यमान नहीं थी।

17. अभियोगी/आहत रामस्वरूप (अ.सा.–1) द्वारा परीक्षण दौरान कथन दिनांक से लगभग 01 वर्ष पूर्व लगभग 02.00–03.00 बजे अपने गेंत में जाने के दौरान अभियुक्त द्वारा पीछे से लाठी मारने पर कमर, दांयी उंगली एवं दांयी जांघ पर उपहति कारित होना व्यक्त किया है। इसी साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया कि उसका एवं अभियुक्त का जमीन संबंधी विवाद को पांच व्यक्तियों द्वारा सुलझाया गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा मौका देखकर लाठी से मारपीट की थी और रिपोर्ट करने पर रात्रि में मारने का कहना व्यक्त किया है। साक्षी द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी/1 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी/2 पर अपने हस्ताक्षर होने सहित पी.एच.सी., वीरपुर में चि. कत्सा परीक्षण करवाया जाना व्यक्त किया है।

18. प्रतिपरीक्षण दौरान यद्यपि उसके द्वारा इस तथ्य से अनभिज्ञता व्यक्त की कि पु. लिस को घटनास्थल पर कौन ले गया था, तथापि उसके द्वारा यह स्वीकार किया कि उसके खेत में अभियुक्त की भूमि निकलने पर गांव के चार व्यक्तियों द्वारा सीमांकन कर मुड्डी गड़वायी थी, किन्तु साक्षी द्वारा यह स्पष्टतः अस्वीकार किया कि उसके द्वारा उक्त मुड्डियों को उखाड दिया था। अभियोगी/आहत प्रतिपरीक्षण दौरान इस तथ्य के संबंध में भी स्थिर रहा कि उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध असत्य प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। उसके द्वारा यह भी अस्वीकार किया कि आर.सी.सी. पर गिरने से उसे चोट कारित हुई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण दौरान बचाव पक्ष की ओर से इस आशय का सुझाव भी प्रस्तुत नहीं किया कि सुसंगत घटना, दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा मारपीट कर उपहति कारित नहीं की गयी थी।

19. अभियोगी की पत्नि श्रीमती ल्होईबाई (अ.सा.–2) द्वारा अभियुक्त को पहचानते हुए कथन दिनांक से लगभग एक वर्ष पूर्व संध्या लगभग 04.00 बजे रात्रि में अभियुक्त द्वारा साक्षी के पति/अभियोगी को लाठी से हाथ, पैर, पसली व रीड़ की हड्डी पर उपहति कारित करने सहित आहत का वीरपुर अस्पताल में उपचार होना और रिपोर्ट हेतु जाने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रतिपरीक्षण दौरान साक्षी द्वारा यद्यपि अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी/1 में रात्रि में जाने और पति को हाथ पैर, पसली में चोट आने का तथ्य व्यक्त करना बताया है और प्रदर्श डी/1 के पुलिस कथन में यद्यपि उक्त तथ्य का अभाव है। तथापि साक्षी प्रतिपरीक्षण दौरान इस तथ्य पर स्थिर रहा है कि वह घटनास्थल पर पहुंचे थे, तभी उसके पति सड़क पर पड़े थे और उसके पति का वीरपुर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा उपचार किया था।

इसी साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण दौरान बचाव पक्ष के इस आक्षेप को भी अस्वीकार किया कि उसके पति को शराब पीकर गिरने से उपहति कारित हुई थी। यद्यपि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रामदयाल द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करते हुए प्रदर्श पी/3 का पुलिस कथन लेखबद्ध नहीं कराना भी व्यक्त किया है, तथापि मात्र उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करने के आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही असंदिग्ध प्रतीत नहीं होती है।

20. घटना की एफ.आई.आर. प्रदर्श पी/1 के लेखक दिनेश सिंह (अ.सा.–5) एवं अनुसंधान अधिकारी, शकूर खां (अ.सा.–6) की कार्यवाही को भी बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अभिलेा पर इस आशाय के तथ्य विद्यमान नहीं है कि उक्त साक्षीगण द्वारा असत्य आधार पर अन्यान्य कारणों से अभियुक्त के विरूद्ध असत्य कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी के कथनों में इस आशय के तथ्य नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से अभियोजन कार्यवाही संदिग्ध हो।

21. अभियोजन पक्ष के उपरोक्त साक्षीगण के कथनों में बचाव पक्ष का यह सुझाव नहीं है कि सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा अभियोगी/आहत को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित नहीं की थी। अभियुक्त की पहचान विषयत् तथ्य भी चुनौतीविहीन है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों इस आशय का सुझाव भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य होने के आधार पर परस्पर हितबद्ध होकर अभियुक्त के विरूद्ध असत्य कथनाभिव्यक्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क औचित्यहीन प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा हितबद्धता के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध असत्य कार्यवाही की गयी है। अभिलेख पर इस आशय की साक्ष्य भी नहीं है कि अभियुक्त द्वारा रंजिश अथवा वैमनस्यता अथवा किसी अन्य अवैध प्रयोजना. र्थ अभियुक्त के विरूद्ध निराधार कार्यवाही की गयी है।

22. अतः, उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराये जाने विषयत् पारित निष्कर्ष में अवैधानिकता अथवा त्रुटि दर्शित नहीं होती है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के संबंध में साक्ष्य का समुचित विश्लेषण कर विधिपूर्वक निष्कर्ष ग्रहण किये हैं। अतः, अभियुक्त की उक्त आरोप में दोषसिद्धि विषयत् निष्कर्ष को स्थिर रखा जाकर आक्षेपित अपराध के संबंध में दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

23. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्व ारा अभियुक्त द्वारा, वीरेन्द्र पुजारी के मकान के सामने आम रोड़ घूघस में अभियोगी/आहत के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कारित करने का आरोप प्रमाणित है। अभियुक्त पेशे से कृषक वर्ग के हैं। उनकी दोषसिद्धि विषयत् पूर्विक अपराधिक इतिहास/चरित्र अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त लगभग 03 वर्ष से अधिक समय से विचारण का सामना कर रहे हैं। अपील की लम्बितावस्था में अभियोगी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधिक मंशा के अनुकूल नहीं होने से नि. रस्त किया गया है, किन्तु उनके मध्य पारस्परिक विवाद नहीं होना और भविष्य में मधुर संबंध स्थापित कर रहना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के मध्य साम्पत्तिक विवाद– खेत की मेंढ़ की सीमा के संबंध में, होना अविवादित है। अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित करने की परिस्थिति में उभय पक्ष के मध्य पारस्परिक सौहार्द्र के विखण्डन की आशंका को भी दृष्टि ओझल नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को कारावास की सजा से तत्काल दण्डित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

24. अभियुक्त द्वारा कारित दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323 भा.द.सं. मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अतः, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, गम्भीरता और वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति संभव प्रतीत होती है।

25. अस्तु, विचारोपरांत सदर अपील अंशतः स्वीकार की जाकर दण्डाज्ञा के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है– अभियुक्त को अधिरोपित करावास की सजा इस शर्त सहित स्थगित की जाती है कि अभियुक्त द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे कि वह आगामी एक वर्ष की अवधि में सदाचारी रहेगा। स्वयं को किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में प्रत्यक्षतः/परोक्षतः लिप्त नहीं रखेंगे अन्यथा वह कारावास की सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा। उक्त परिस्थितियों में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियोगी को उपहति कारित करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 323 के दोषसिद्ध अपराध में अधिरोपित जमा की गई अर्थदण्ड राशि रूपये 500/–के अतिरिक्त 500/–रूपये {कुल राशि 1,000/–रूपये} विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करेगा। अभियुक्त द्वारा जमा अर्थदण्ड राशि में से रूपये 500/– रूपये अभियोगी/आहत रामस्वरूप को क्षतिपूर्ति स्वरूप भुगतान की जावें। अभियुक्त, उक्त आदेश का पालन निर्णय दिनांक से पंद्रह दिवस में विचारण न्यायालय के समक्ष करेगा अन्यथा उसे कारावास की सजा भुगताई जावें।

26. अभिलेख के अनुसार विचारण न्यायालय एवं इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण की लम्बितावस्था में अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि निरंक है।

27. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के व्ययन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर तत्संबंधी आदेश यथावत रखा जाता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

28. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क एवं अविलंब अभियुक्त को विधिवत् प्रदाय की जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख विधिवत वापस किया जावे।

स्थान– सिविल न्यायालय, विजयपुर मेरे उद्बोधन एवं श्रुतलेख पर टंकित।
दिनांक– 11 जनवरी, 2018

(ए0के0 टेलर)
अपर सत्र न्यायाधीश,
विजयपुर, जिला–श्योपुर(म0प्र0)
11.01.2018